न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 64/2016
वाद दायरी दिनांक : 19/05/2016
निर्णय दिनांक : 10/4/2017

1. नारायण पुत्र रामकरण
2. मनभर पुत्री रामकरण
3. केली पुत्री रामकरण

समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम महतगांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत
श्री रामजीलाल शर्मा
श्री संजय सिंह सिरोही
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 10/4/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणात्मक विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 123 की आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233/1082 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.0900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 235 रकबा 1.6600 कुल किता 05 कुल रकबा 3.4600 हैक्टेयर वाके ग्राम महतगांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके साबिक खसरा नम्बर 192, 193, 194/790, 357/771 है, जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त हैं। स्व0 धन्ना एवं उसकी पत्नी धापूदेवी के जायन्दा पुत्र स्व0 रामकरण व श्योजी है एवं स्व0 रामकरण व श्योजी की नाबालिगी में ही स्व0 धन्ना फौत हो गये, जिसके कारण स्व0 धन्ना

उपखण्ड अधिकारी दूदू

Scanned by CamScanner

की पत्नी ने स्व0 देवा की चूड़ी पहन ली एवं अपने नाबालिग बच्चों को लेकर स्व0 देवा के साथ रहने लग गयी, जिसके कारण वादीगण के स्व0 पिता रामकरण की वल्दियत पहचान–पत्र व राशनकार्ड में धन्ना की जगह देवा दर्ज कर दी गई, जबकि वास्तविक रूप से स्व0 रामकरण धन्ना का ही पुत्र था, इसलिये अपने सगे भाई श्योजी पुत्र धन्ना की विवादित आराजीयात का भी खातेदार रहा हैं। स्व0 देवा की समस्त चल अचल सम्पति में उसके वारिसान लक्ष्मण, पांचू, हरजी, गिरधारी एवं स्व0 धापूदेवी हिस्सेदार है, जिनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 364 दर्ज है, जबकि रामकरण व श्योजी माता धापूदेवी से उत्पन्न हुये थे, जिनका पिता धन्नालाल था, जो उसकी नाबालिगी में फौत हो गया और देवा के साथ रहने से पिता का नाम गलती से देवा हो गया, जबकि स्व0 धन्ना के वारिसान हैं। विवादित आराजी स्व0 श्योजी पुत्र धन्ना के नाम से रही है, जो नाऔलाद फौत होने से उसके सगे भाई स्व0 रामकरण पुत्र धन्ना के आराजी का नामान्तरकरण संख्या 476 तस्दीक हो गया जो वादीगण के पिता रामकरण के नाम दर्ज हो गयी, जिस पर जब तक रामकरण जीवित रहा स्वंय मौके पर काबिज होकर काश्त करता रहा एवं उसकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त हैं। स्व0 रामकरण के वादीगण वारिसान है एवं विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है लेकिन वादीगण के पिता की माता स्व0 धन्ना की मृत्यु के पश्चात स्व0 देवा के साथ रहने से रामकरण नाबालिग होने से रामकरण की वल्दियत के आगे देवा का नाम वरवक्त संरक्षक होने के नाते राजकीय कारकुनानों ने देवा दर्ज कर दिया था एवं वादीगण अनपढ होने से रामकरण पुत्र देवा के नाम से ही ग्राम पंचायत से अपने पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र भी उपर्युक्त नाम से ले लिया, जिसके कारण उपर्युक्त आराजी का नामान्तरकरण राजस्व कारकुनानों द्वारा वादीगण के पक्ष में तस्दीक नही किया गया। वादीगण के स्व0 पिता स्व0 धन्ना के जायन्दा पुत्र थे, लेकिन स्व0 रामकरण की माता धापूदेवी ने रामकरण की नाबालिगी में स्व0 धन्ना फौत हो जाने से स्व0 देवा की चूडी पहन ली एवं रामकरण को अपने साथ ही रखने लग गई, जिसकी वल्दियत राशनकार्ड व पहचानपत्र में परिवार के अनपढ होने से सहवन से धन्ना की जगह देवा लग गई, इसलिये वादीगण उक्त विवादित आराजी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा दिनांक 02/05/2016 को स्व0 रामकरण पुत्र धन्ना की विरासत का नामान्तरकरण पटवार हल्का द्वारा तस्दीक नही करने पर प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना–पत्र पेश किया तो

ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

इन्कार हो गया, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 123 की आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 233/1082 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.0900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 235 रकबा 1.6600 कुल किता 05 कुल रकबा 3.4600 हैक्टेयर वाके ग्राम महतगांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्से की दर्ज आराजी मे किसी प्रकार की बेजा मजाहमत पैदा न स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। वादी की ओर से शपथ–पत्र गवाह पी.डब्ल्यू–1 नारायण, पी.डब्ल्यू–2 रामपाल, पी.डब्ल्यू–3 भंवरलाल के शपथ–पत्र पेश हुये, जिन पर बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 123, 208, नकल नामान्तरकरण संख्या 476, 364, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल खतौनी बन्दोबस्त, नकल पहचान–पत्र, फोटो प्रति राशनकार्ड, आधारकार्ड, साक्ष्य गवाहान एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 के अनुसार खाता संख्या 123 के अनुसार आराजी रामकरण पुत्र धन्ना के नाम से दर्ज है, जबकि परिचय–पत्र एवं राशनकार्ड में रामकरण पुत्र देवा दर्ज है, वादीगण ने रामकरण के नाम से दर्ज आराजी की घोषणा चाही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड एवं पहचान दस्तावेजात में वल्दियत भिन्न होने से नामान्तरकरण नही खुल पा रहा है, इस सम्बन्ध में वादीगण ने अंकित किया कि धन्ना व देवा दो भाई थे, धन्ना के श्योजी व वादीगण के पिता रामकरण पुत्र

अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

थे एवं धापूदेवी पत्नी थी। धन्ना की फौती पर उसके छोटे भाई देवाराम की चूड़ी धापूदेवी को पहना दी गयी, जिससे देवाराम के साथ रहने से रामकरण की वल्दियत देवाराम दर्ज हो गयी, जबकि वास्तव में धन्ना होनी चाहिये थी। वादग्रस्त आराजीयात श्योजी पुत्र धन्ना की रही है, जो जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 476 के द्वारा रामकरण पुत्र धन्ना को प्राप्त हुयी है, साक्ष्य गवाहान के अनुसार भी वादीगण के वाद की ताईद होती है एवं वादीगण के पिता की वल्दियत पहचान दस्तावेजों में देवा दर्ज होना प्रमाणित होता है, चूंकि आराजीयात श्योजी पुत्र धन्ना से प्राप्त हुई है, इसलिये उसमें वल्दियत रामकरण पुत्र धन्ना दर्ज हो गयी है, इस प्रकार भिन्न–भिन्न वल्दियत होने से वादीगण के नाम से स्व0 रामकरण का नामान्तरकरण नही खुल पा रहा है, इस प्रकार वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य गवाहान के आधार पर अपना वाद साबित करने में सफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 123 के आराजी खसरा नम्बर 232, 233, 233/1082, 234, 235 कुल किता 05 कुल रकबा 3.4600 हैक्टेयर वाके ग्राम महतगांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/4/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : ...

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

आन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू मुकाम

श्री त्रिलोक चन्द मीना (R.A.S)

जिला

नारायण पुत्र रामकरण रूपी बनाम 1. तहसीलदार तहसील दूदू

मनभर पुत्री रामकरण दावा बाबत घोषणा

फूली पुत्री रामकरण मुकदमा नं. 64/2016 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत एड०

मिनजानिब मुद्दई रूबरू

जरिये

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी ख०नं० 123 के ख०नं० 232, 233, 233/1082, 234 235 कुल किता 05 कुल रकबा 3.4600 हे० वाके ग्राम महतगांव, तहसील दूदू जिला जयपुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

मुबलिग बाबत

इस मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से

अदायगी तक का अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-04-2017 माह सन् को

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी दूदू

हाकिम

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
... सबूत			महनताना वकील		
... वकील			खर्चा गवाहान.		
...हान			फीस कमिश्नर		
...मिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...राय हुक्मनामा			मुतफरिक		

Scanned by CamScanner